कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–1545/एटा–कासगंज मार्ग/21109/2016, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 25, 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़।

विषय : एटा–कासगंज मार्ग एवं बरेली–मथुरा मार्ग का लो0नि0वि0 द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु **एटा में** किमी0 0 से 20 तक 22.80 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 2435 वृक्षों के पातन तथा **कासगंज में** एटा–कासगंज मार्ग पर किमी0 21 से 24.3 तक तथा बरेली–मथुरा मार्ग किमी0 145 से 161.5 तक 24.088 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 3234 वृक्षों के पातन **कुल 46.888 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 5669 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

सन्दर्भ: आपका पत्रांक–1792/14–1, दिनांक 12.01.2017

महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रथमदृष्टया प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– ऑनलाइन पार्ट–1 में कासगंज में प्रभावित संरक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल 24.808 हे0 अंकित किया गया है जबकि गणना व पूर्ण प्रस्ताव में क्षेत्रफल 24.008 हे0 है, जो त्रुटिपूर्ण है, इसे संशोधित करें।

2– कासगंज के ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–5 व 7 की सूचना त्रुटिपूर्ण है।

3– कासगंज के ऑनलाइन पार्ट–2 के Additional Information Details में कोई अभिलेख अपलोड नहीं है।

4– कासगंज के ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–14 में जिले का वन क्षेत्र 0 दर्शाया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। यदि 0 है तो वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति का प्रस्ताव कैसे प्रेषित किया गया है।

5– कासगंज के संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर अधिशासी अभियन्ता के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

6– प्रस्ताव के साथ संलग्न संरक्षित वनभूमि के गजट में केवल एटा–कासगंज मार्ग को चिन्हित किया गया है, जबकि कासगंज में बरेली–मथुरा मार्ग के चौड़ीकरण का भी उल्लेख किया गया है।

7– परियोजना में पयावर्णीय स्वीकृति की आवश्यकता तो नहीं है, यदि आवश्यकता हो, तो प्राप्त कर संलग्न करें।

8– लागत–लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न नहीं है।

9– मार्ग चौड़ीकरण का एक Liner Plan जिसमें विद्यमान R.O.W, प्रस्तावित R.O.W. एवं चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष वनभूमि को मीटर में दर्शाया गया हो, संलग्न नहीं है।

10– चौड़ीकरण के उपरान्त वृक्षारोपण हेतु अवशेष संरक्षित वनभूमि की गणना तथा उक्त वनभूमि पर भूमि उपलब्धता के आधार पर 2 से 3 पंक्ति में रोपण व 10 वर्षो के अनुरक्षण का प्राक्कलन संलग्न नहीं है।

11– प्रस्तावक की पावर आफ अटार्नी संलग्न नहीं है।

12– प्रस्ताव के पृष्ठ–63 से 79 तक कुल 93.616 हे0 अवनत वनभूमि में रोपण हेतु रू0 4 65,95,400/–का व्यय प्राक्कलन संलग्न किया गया है, किन्तु दोनों प्रभागों के ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–13 पर अंकित धनराशि का योग रू0 4,66,82,500/– होता है, जो त्रुटिपूर्ण है।

13– उपरोक्त सूचनाओं को ऑनलाइन एवं आफलाइन सशोधित करने का कष्ट करें।

14– उपरोक्त इंगित सूचनाओं को पूर्ण कर प्रस्ताव व विषय सूची पर पृष्ठ संख्या ठीक करने क कष्ट करें।

परियोजना में दो वन प्रभागों की वनभूमि भूमि प्रभावित हो रही है। कासगंज वन प्रभाग की प्रभावित वनभूमि सर्वाधिक है अतः प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज को इस प्रस्ताव को तैयार करने हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। उपरोक्त सूचनाओं को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें तथा सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1545 /, उक्तदिनांक

1– प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, एटा व कासगंज को उपरोक्त निर्देशों के कम में इस आशय से प्रेषित कि संशोधित प्रस्ताव शीघ्रतिशीघ्र वन संरक्षक, अलीगढ़ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 एटा व कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।